

अधिकारी विश्रामगृह, हुसैनपुर एवं नई दिल्ली की दरें

क्र.सं.	बुकिंग का विवरण	नई दिल्ली सामान्य	नई दिल्ली वी.आई.पी.	कपूरथला सामान्य	कपूरथला वी.आई.पी.
1	ड्यूटी पर अधिकारी	0	0	0	0
2	ड्यूटी पर अधिकारी द्वारा मांगा गया अतिरिक्त कमरा (उपलब्ध होने पर, केवल विशेष परिस्थितियों में, अधिकतम 03 दिन के लिए)	100	200	50	100
3	सेवारत अधिकारी अवकाश पर (पास नियमों के अनुसार)	300	400	100	200
4	अवकाश पर अधिकारी द्वारा मांगा गया अतिरिक्त कमरा (उपलब्ध होने पर, केवल विशेष परिस्थितियों में, अधिकतम 03 दिन के लिए)	300	400	100	200
5	स्थानांतरण पर अधिकारी (एक सप्ताह के लिए)	50	100	50	50
6	स्थानांतरण पर अधिकारी (08 वें दिन से 30 दिन तक) यदि अधिकारी रेलवे आवास / ट्रांज़िट आवास के लिए आवेदन करता है	300	400	100	200
7	स्थानांतरण पर अधिकारी (31वें दिन के बाद) यदि अधिकारी रेलवे आवास/ ट्रांज़िट आवास के लिए आवेदन करता है और रेलवे आवास / ट्रांज़िट आवास उपलब्ध न हो तो	400	500	150	250
8	स्थानांतरण पर अतिरिक्त कमरा (उपलब्ध होने पर, केवल विशेष परिस्थितियों में, अधिकतम 03 दिन के लिए)	400	500	150	250
9	यदि स्थानांतरण पर अधिकारी 10 दिन के भीतर रेलवे आवास / ट्रांज़िट आवास के लिए आवेदन न करे (विश्राम गृह में आवास लेने के 11वें दिन से)	800	1200	500	700
10	यदि अधिकारी को रेलवे आवास / ट्रांज़िट आवास दिया जाता है और वह उसे लेने से मना करे (आवास देने के पहले प्रस्ताव की तिथि से)	800	1200	500	700
11	सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारीगण	300	400	100	200
12	ड्यूटी पर केन्द्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के लिए	750	1000	500	750
13	ड्यूटी पर रेलवे उपक्रमों /पी.एस.यू के अधिकारियों के लिए (उपलब्ध होने पर, केवल विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 03 दिन के लिए)	750	1000	500	750
14	अवकाश पर केन्द्र / राज्य सरकार /पी.एस.यू के राजपत्रित अधिकारियों के लिए	1200	1800	800	1200
15	रेलवे अधिकारी के अतिथि के लिए (उपलब्ध होने पर, केवल विशेष परिस्थितियों में, अधिकतम 03 दिन के लिए)	930	1200	480	600

रेडिका/ कपूरथला पटनीटाँप हॉली डे होम की दरें

क्र.सं.	बुकिंग का विवरण	किराया प्रति कमरा प्रति दिन (₹ में)			
		√	सेवारत	√	सेवानिवृत्त
1.	अधिकारी ड्यूटी पर		शून्य		लागू नहीं
2.	अवकाश पर अधिकारी		400		500
3.	बाहरी व्यक्तियों/अतिथियों के लिए – रेल कर्मों या उनके आश्रित परिवार के सदस्यों (पास नियमों के अनुसार) के साथ आने वाले अतिथियों को बाहरी व्यक्ति समझा जाएगा और उन्हें ₹.1500/- प्रति कमरा प्रति दिन की दर से भुगतान करना होगा ।		1500		1500